कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, प्रथम–तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/893/2019/10–11/557 भोपाल, दिनांक 11/02/2020

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप,
सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के कोर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम खामदा एवं मालनी भाग–5 को विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 100.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/8-29/2019-FC दिनांक 23.12.2019

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में विस्थापन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र काफी घना वन (Very Dense Forest and Moderately Dense Forest) होने के कारण अन्य वनक्षेत्र का चयन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा पत्र दिनांक 27.01.2020 से अवगत कराया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी–188 में आता है। इस कक्ष का कुल रकबा 347.149 हेक्टेयर है। इस 347.149 हेक्टेयर में से 182.00 हेक्टेयर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अन्दर बसे वनग्रामों को विस्थापित करने के उद्देश्य से पूर्व मे ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इस 182.00 हेक्टेयर में जामदाना, कांकड़ी एवं साकोट वनग्राम पूर्व में ही विस्थापित हो चुके हैं। इस कक्ष के शेष बचे 165.149 हेक्टेयर में से 100.00 हेक्टेयर रकबे में वनग्राम खामदा तथा मालनी को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विस्थापन का कार्य ग्रामीणों की सहमति से ही किया जाता है। प्रस्तावित वनक्षेत्र में अन्य वनग्रामों के ग्रामीण पूर्व से ही विस्थापित हैं तथा इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनग्राम खामदा तथा मालनी के निवासी अपने रिश्तों के आधार पर इसी क्षेत्र में बसना चाहते हैं। अतः प्रस्तावित स्थल ग्रामीणों की इच्छा के अनुरूप हैं।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित वनक्षेत्र वनखण्ड की सीमा पर स्थित है, जिससे राजस्व क्षेत्र लगा हुआ है।

यह भी अनुरोध है कि कक्ष क्रमांक 188 का यदि गुगल मेप पर विगत 15 वर्षों का अवलोकन किया जाये तो इससे स्पष्ट होगा कि वर्तमान में प्रस्तावित जिस 100.00 हेक्टेयर रकबे में वनों का जो घनत्व है, वह घनत्व पूरे कक्ष में कुछ वर्षों पूर्व था। इस घनत्व के वनों को पूर्व में भी भारत सरकार द्वारा वनग्राम विस्थापन हेतु दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव को FAC में रखने का कष्ट करें। FAC के समक्ष इस संबंध में मध्यप्रदेश के अधिकारियों द्वारा स्थल चयन करने के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर देने का अनुरोध है।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा क्षेत्रसंचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद के प्रतिवेदन से सहमति दर्शाई गई है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

11/2/2020

(सुनील अग्रवाल)

पृ0 क्र0 / एफ–5 / 893 / 2019 / 10–11 / 558

भोपाल, दिनांक 11/02/2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 प्रगति भवन, भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11/2/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय क्षेत्रसंचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद, म.प्र.

Phone No. 07574-254394 (O) Fax, 07574-252133 E-mail: ddsatnp.hbd@mp.gov.in

पत्र क्रमांक / मा0चि0 / ....773 होशंगाबाद, दिनांक ..27.1.'12

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
प्रगति भवन, भोपाल

विषय :— सतपुडा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के कोर क्षेत्र में विद्यमान वनग्राम ग्राम खामदा एवं मालनी को विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 100.00 हेक्ट. वनभूमि का वनसंरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव।

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षण (भू—प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ. —5 / 893 / 2019 / 10—11 / 4031 दिनांक 28.12.2019.

——0000——

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि, सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद के ग्राम खामदा एवं मालनी के विस्थापन हेतु वनमंडल होशंगाबाद के कक्ष क्रमांक—188 का 100.00 हेक्ट. क्षेत्र वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंर्तगत व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव के संदर्भ में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भोपाल स्थित क्षेत्रीय अपर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक श्री विभाष ठाकुर द्वारा दिनांक 18.11.2019 को निरीक्षण उपरान्त वनक्षेत्र का घनत्व अधिक होने से प्रस्ताव को अमान्य करने की अनुशंसा की गयी है। इस विषय में संदर्भित पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई प्रस्तावित क्षेत्र के व्यपवर्तन हेतु निम्न बिन्दुओ के आधार पर पुनः विचार किया जाना उचित होगाः—

1. प्रस्तावित कक्ष पी.एफ.—188 का सम्पूर्ण क्षेत्र 347.149 हेक्ट.है। जिसमें 182.00 हेक्ट वन भूमि पर पूर्व में भारत शासन की स्वीकृती एवं राज्य शासन की स्वीकृती के आधार पर ग्रामों को विस्थापित / पुर्नवसित की जा चुकी है।

2. कक्ष पी.एफ.—188 का 165.149 हेक्ट. क्षेत्र बकाया है जिसमें से 100.00 हेक्ट. क्षेत्र प्रस्तावित है जो तीनो ओर से ग्रामों से घिरा हुआ है (मानचित्र संलग्न है) यह कक्ष वनखण्ड की बाह्य सीमा पर अवस्थित है।

3. टाइगर रिजर्व क्षेत्र से ग्रामों के विस्थापन में व्यपवर्तन के कतिपय शर्तो को शिथिल किया जाना उचित होगा क्योकि इससे अतिरिक्त भूमि वन्यप्राणी रहवास के लिए उपलब्ध होती है।

4. सामाजिक रूप से एक ग्राम के निवासी परस्पर रिश्ता के आधार पर एक ही स्थान पर बसना चाहते है, इस दृष्टि से भी आवेदित भूमि का व्यपवर्तन उचित होगा।

अतः अनुरोध है कि, इस संबंध में पुनः विचारण हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(एस.के.सिंह)
''भा.व.से.''
मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद

P.C.C.F. (W.L.)
(M.P.)

पृष्ठां. क्रमांक / मा.चि. / .... होशंगाबाद, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— 1. अपर प्रधान मुख्यवनसंरक्षण (भू—प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. श्री आर.पी.सिह विशेषज्ञ (वन्यप्राणी), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd

मुख्य वनसंरक्षक एवं क्षेत्रसंचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल
क्रमांक 1241
दिनांक 5/2/2020

D/data/DM Branch/later new 1 le 2020 968
417

10-2-2020

मैं STR FD से सहमत हूँ, P-188 किनारे का कम्पार्टमेंट होने तथा इसी कक्ष के अन्य गावो का विस्थापन होने के बाद खाली क्षेत्र, ग्रामीणो की इच्छा के कारण विस्थापन इसी कक्ष में किया जाना आवश्यक है। FCA के अंतर्गत दी जाने की मैं अनुशंसा करता हूँ।

(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक

प्रतिलिपि अ.प्र.मु.व.स. (FCA), APCCF

PTO, MAP